

SC-9  
24.6.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No...../2014

Ram Krishna Prasad Yadav --- Petitioner.

Vs.

The State of Bihar and others --- Respondents.

Subject:- Payment of the Arrear of Salary (School Service)

I N D E X

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages.</u>
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India with affidavit.	1 to 17
2.	Annexure-1 A photo copy of the letter vide Memo No.429P dated 24.06.2008	18 to 19
3.	Annexure-2 A photo copy of report	20
4.	Annexure-3 A photocopy of the Memo No.37P dated 22.01.2013	21 to 24
5.	Annexure-4 A photo copy of the Letter No.202 dated 16.03.2013	25
6.	Annexure-5 A photo copy of the Letter No.43 dated 07.02.2014	26
7.	Annexure-6 A photocopy of the 36 dated 12.04.2014	27
4.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No...../2014

Ram Krishna Prasad Yadav --- Petitioner.

Vs.

The State of Bihar and others --- Respondents.

Synopsis

The present writ petition is being preferred for the issuance of an appropriate writ / writs in the nature of mandamus for commanding and directing the concerned authorities with respect to the payment of the arrear salary with effect from 01.01.1989 to the date of retirement, i.e., 30.06.2011 in terms of the order passed by the Director, Secondary Education, Govt. of Bihar, and communicated vide Memo No.37P dated 22.08.2013 as well as the payment of the interest on the delayed payment by fixing the responsibility of individuals / Officer, D.P.O. (Establishment), Sri Vinayak Pandey and for the litigating cost also for the necessary harassment and for the other necessary relief / reliefs on the basis of facts and circumstances of the case as an enumerated and stated hereinafter.

### List of Dates

- 05.10.1987:- The petitioner was appointed as an Assistant Teacher in Project Girls High School, Singheswar within the District of Madhepura in the year 1987. He submitted the joining on 05.10.1987
- 03.01.2006:- The disputes with respect to Project School and the service condition of the Teachers appointed therein travel upto Apex Court and finally settled vide order dated 03.01.2006 in Civil Appeal No.6626-6675/2001 alongwith 6676-6681/2001 whereby and whereunder the necessary directions were given to the State Government related to the absorption of payment of the teachers working therein.
- 24.06.2008:- The Director Secondary Education had issued the letter under Memo No.429 P dated 24.06.2008.
- 30.06.2011:- The petitioner was superannuated from his service on 30.06.2011.
- 22.01.2013:- The Director Secondary Education had

issued the Memo No.37 P dated 22.01.2013 with a necessary directions to the payment of the arrear salary.

16.03.2013:- The District Education Officer, Madhepura had issued the Letter No.202 dated 16.03.2013 addressing the <sup>Director</sup> District Secondary Education, Buddha Marg, Patna

07.02.2014:- The Director Secondary Education had issued the Letter No.43 dated 07.02.2014 addressed to the District Education Officer, Madhepura in response to the letter dated 24.12.2013.

12.04.2014:- The Headmaster of the School in question had issued the Letter No.36 dated 12.04.2014 addressed to the District Programme Officer (Establishment), Madhepura.

Hence, this writ application.

Handwritten signature and initials in the top right corner.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No...../2014

In the matter of  
an application under  
Article 226 of the  
Constitution of India;

And

In the matter of:-

Ram Krishna Prasad Yadav, son of Late Ram Prasad  
Yadav, Resident of Morkahi, P.O.- Sabaila, P.S.-  
Patarghat, District- Saharsa

..... Petitioner

VERSUS

1. The State of Bihar.
2. The Principal Secretary, Education Department,  
Government of Bihar, New Secretariat, Patna.

3. The Director Secondary Education, Govern<sup>ment</sup>~~ment~~ of Bihar, Buddha Marg, Patna.
4. The District Education Officer, Madhepura.
5. Sri Vinayak Pandey, District Programme Officer (Establishment), Madhepura.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth:

1. That the present writ petition is being preferred for the issuance of an appropriate writ / writs in the nature of mandamus for commanding and directing the concerned authorities with respect to the payment of

the arrear salary with effect from 01.01.1989 to the date of retirement, i.e., 30.06.2011 in terms of the order passed by the Director, Secondary Education, Govt. of Bihar, and communicated vide Memo No.37P dated 22.08.2013 as well as the payment of the interest on the delayed payment by fixing the responsibility of individuals / Officer, D.P.O. (Establishment), Sri Vinayak Pandey and for the litigating cost also for the unnecessary harassment and for the other necessary relief / reliefs on the basis of facts and circumstances of the case as an enumerated and stated hereinafter.

2. That the substantial questions of law involved in the present writ petition are as follows:-

(i) Whether the action of the authorities withhold the payment of arrear salary even after the order passed by the

Director, Secondary Education in response to the direction of the Apex Court is justified ?

(ii) Whether the respondent authorities have failed to appreciated that the payment of the arrear salary is a part of service jurisprudence which cannot be denied unreasonably and arbitrary even without the sanctity of law ?

(iii) Whether the respondent authorities have failed to appreciated that the arrear of salary of the employee is coming under the right of property which is a constitutional right and cannot be forfeited and denied without the authority and without any law ?

(iv) Whether the respondent authorities have failed to appreciated that the Director, Secondary Education is the highest in the hierarchy of the administration



under Secondary Education, and the D.P.O. (Establishment) is no authority under the law to sit upon his order even passed in response to the order of the Apex Court ?

(v) Whether the respondent authorities have failed to appreciated that there is no law in land which certified the action of the authority withholding the payment of salary rather the legal proposition deals the payment for the period already been works by executing its own obligation ?

(vi) Whether the respondent authorities have failed to appreciated that the law decided by the temple of justice time without number is obvious that the salary / arrear salary cannot be withhold simply on the reason that it is

worse than the suspension without any fault ?

(vii) Whether the action of the respondent authorities are malafide, arbitrary, without jurisdiction as well as the abuse of the power and the authority due to the wrong and ulterior motive?

(viii) Whether the actions of the respondent authorities are otherwise bad in law and facts ?

3. That the petitioner is a citizen of India and he is residing well within the territorial jurisdiction of this Hon'ble High Court.
4. That it is stated and humbly submitted that initially after completing the process required under the law, he was appointed as an Assistant Teacher in Project Girls High School, Singheswar within the District of Madhepura in the year 1987. He submitted the

joining on 05.10.1987 and remained in service till the date of retirement up to 30.06.2011.

5. That it is stated and humbly submitted that the works and performance of the petitioner were appreciated by all concerned including the higher officials time without number and he possesses the clean service record, i.e., without any adverse remarks by superior or the complaint by the individual or the group of individuals.

6. That it is stated and humbly submitted that the disputes with respect to Project School and the service condition of the Teachers appointed therein travel upto Apex Court and finally settled vide order dated 03.01.2006 in Civil Appeal No.6626-6675/2001 alongwith 6676-6681/2001 whereby and whereunder the necessary directions were given to the State Government related to the absorption of payment of the teachers working therein.

7. That it is stated and humbly submitted that the Director Secondary Education had issued the letter under Memo No.429 P dated 24.06.2008 and the necessary directions were issued for the verifications related to the genuineness of the documents with the pious wishes to insured the payment with effect from 01.01.1989 or 25.01.2000 in terms of the entitlements. It was clarified that the payments shall be insured in five installments.

A photo copy of the letter vide Memo No.429P dated 24.06.2008 is being annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

8. That it is stated and humbly submitted that the Headmaster of the School had submitted a report to the officials related to the

service status of the petitioner and the other Assistant Teachers disclosing the facts that on or after attending the upper age limit he was superannuated from his service on 30.06.2011.

A photo copy of report is being annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

9. That it is stated and humbly submitted that the Director Secondary Education had issued the Memo No.37 P dated 22.01.2013 with a necessary directions to the payment of the arrear salary. It was indicated that the said payment shall be made available with the five installments. It was indicated that his services was recognized with effect from 01.01.1989 and, as such, he has entitled for

the benefits and accorded, but there is no head and tail till date.

A photocopy of the Memo No.37P dated 22.01.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

10. That it is stated and humbly submitted that the District Education Officer, Madhepura had issued the Letter No.202 dated 16.03.2013 addressing the <sup>Director,</sup> ~~District~~ Secondary Education, Buddha Marg, Patna, related to the verification and the correctness of the letter dated 22.01.2013 directing the payment of arrear of salary.

A photo copy of the Letter No.202 dated 16.03.2013 is being annexed herewith and

marked as Annexure-4 to  
this writ petition.

11. That it is stated and humbly submitted that the Director Secondary Education had issued the Letter No.43 dated 07.02.2014 addressed to the District Education Officer, Madhepura in response to the letter dated 24.12.2013, and reported him on the basis of the materials available on record that the office order No.37 P dated 22.01.2013 is the correct one. The copy of the letter aforementioned was also included for the better appreciation and the necessary legal action.

A photo copy of the  
Letter No.43 dated  
07.02.2014 is being  
annexed herewith and  
marked as Annexure-5 to  
this writ petition.

12. That it is stated and humbly submitted that the Headmaster of the School in question had issued the Letter No.36 dated 12.04.2014 addressed to the District Programme Officer (Establishment), Madhepura for providing the allotments for the purpose of the payment of arrear salary. However, the entire exercise are futile and the issue remains pending or a final adjudication related to the payments although the same is the constitutional right.

A photocopy of the 36 dated 12.04.2014 is being annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

13. That it is stated and humbly submitted that the law is well established and interpreted by the judicial pronouncement time without



number with the effect that the denial / withholding the payments is not permissible as it is worst than suspension. It has already been explained that in case of suspension the employer extends the benefits of subsistence allowance to the employees for his survival and the survival of the family members. However, in case of withholding the payment there is denial of 100%. In the said back drop, it appears that the entire exercise are contract to the concept adopted by the State Government.

14. That it is stated and humbly submitted that in case in hand the authority had paid the salary in the initial scale from 24.06.2008 to the date of retirement, i.e., 30.06.2011 against the entitlements on the basis of equity and the law formulated by the State Government. In the said backgrounds it is obvious that the payment of arrear salary

must be provided after adjusting the payment already been made within a reasonable time. It is pertinent to mention at this stage that although the Director Secondary Education had passed the order after completing the process from all the concerned in response to the order of the Apex Court, however, there is not head and tail till date and the petitioner and his family depends upon the loan for livelihood, which includes the medical assistance to the elder and the education to the growing children. In the said backgrounds is also entitled for the interest of the market rates upon delayed payment as well as the litigating cost for the unnecessary harassment to the petitioner.

15. That it is stated and humbly submitted that the points which are sum up for the consideration before the Hon'ble High Court is whether the learned District Programme

Officer had in jurisdiction to sit over the order of the Director Secondary Education and put him in heavy loss by not executing the directions given by the higher authority is justified or not. The complete answer of the question is not permissible and on the ground of subordination is bound to be followed the order and ensured the payments as directed with any hindrance.

16. That it is stated and humbly submitted that on or after the careful consideration to the facts and the law and taking into consideration in its totality it is just and proper that the writ petition may be allowed with a direction to the payment of arrear with interest for litigating cost of unnecessary harassment.

17. That the writ petitioner has no other efficacious and/or alternative remedy except to move this Hon'ble Court in writ

jurisdiction which would be more adequate and proper.

18. That the writ petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier for the grant of relief as mentioned in paragraph no.1 to this writ application.

It is therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI calling upon the respondents with show cause and after return of the rules if no sufficient cause may be shown make the relief absolute and allow the prayer made in Para 1 of the writ application.

And/or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Ram Krishna Prasad Yadav, aged about- 63 years, son of Late Ram Prasad Yadav, Resident of Morkahi, P.O.- Sabaila, P.S.- Patarghat, District- Saharsa, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner of the case and, as such, am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read by me which I have fully understood.
3. That the statement made in Para Nos <sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 + 17</sup> are true to my knowledge and those mentioned in Para Nos <sup>7, 8, 9, 10, 11, 12</sup> are true to information derived from the records and rest are by way of submission of this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true/photo/typed copies of their respective originals.

मानव संसाधन विकास विभाग बिहार  
बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना  
कार्यालय आदेश

429 पटना दिनांक 24 जून 2008

संख्या - परि./मा.शि.-05 / 2006 ————— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6626-6675/2001 के साथ संलग्न सिविल अपील संख्या 6676-6681/2001 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्यालय शिक्षक संघ एवं अन्य में दिनांक 3.01.06 को पारित आदेश तदनुसार त्रिसदस्यीय जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर सरकार के आदेशानुसार परियोजना कन्या उ.वि. सिंहेश्वर, मधुपुरा में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा की मान्यता अंकित शर्तों के अधीन तत्काल आदेश निर्गत की तिथि से प्रदान किया जाता है :-

शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मों का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	योग्यता	विषय
श्री विनोद कुमार सिंह	स.शि.	5/10/1987	4/5/1959	स्नातक प्रशिक्षित	नगरिक शास्त्र
श्री दिलीप कुमार झा	स.शि.	5/10/1987	10/1/1962	साहित्याचार्य अप्रशिक्षित	संस्कृत
श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव	स.शि.	5/10/1987	7/9/1962	बी.एस.सी. प्रशिक्षित	गणित
श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी	स.शि.	5/10/1987	8/1/1962	बी.ए. अप्रशिक्षित	हिन्दी
श्रीमती गौरी कुमारी	स.शि.	5/10/1987	10/1/1959	बी.एस.सी. अप्रशिक्षित	जीव विज्ञान
श्री शिवानंद यादव	स.शि.	5/10/1987	27/1/1961	बी.ए. प्रशिक्षित	अंग्रेजी
श्री राम कृष्ण प्रसाद यादव	स.शि.	5/10/1987	6/6/1951	बी.ए. प्रशिक्षित	भूगोल
श्री उमेश प्रसाद साह	लिपिक	5/10/1987	6/1/1967	मैट्रिक	अज्ञात
श्री खोखान यादव	आदेशपाल	5/10/1987	20/11/1966	मिडिल	अज्ञात
श्रीमती लीला देवी	आदेशपाल	5/10/1987	5/1/1968	मिडिल	अज्ञात

681  
3.8

2. दिनांक 1.01.1989 तथा 25.01.2000 अथवा प्रशिक्षण की योग्यता मान्यता एवं वेतन भुगतान की स्वीकृति के पूर्व इस अवधि में कार्यरत रहने के बाद लगातार कार्यरत रहने संबंधी दावा सही पाये जाने पर पूर्व की तिथि से सेवा मान्यता एवं बकाये राशि का भुगतान पाँच समान वार्षिक किस्तों में किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायगा।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित डार्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से दो माह के अंदर कराते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा की गयी कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करायेगे। शिक्षकों एवं लिपिकों की सेवा मान्यता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता का ही अंकण उपर्युक्त योग्यता कॉलम में किया गया है।

4. शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों से प्राप्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्मतिथि, विद्यालय में कार्यरत रहने संबंधी सूचना एवं अन्य सूचनायें गलत पाये जाने पर उनकी सेवा मान्यता को रद्द करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

*(Signature)*

# प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर (मधेपुरा)

दिनांक : 2.11.13

**प्रधानाध्यापक**

सेवा में : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(स्वायत्त) मधेपुरा

विषय : विद्यालय से सेवा निवृत्त सहायक शिक्षक श्री राम कृष्ण प्रसाद भादव एवं स्वर्गीय उजेन्द्र प्रसाद भादव, एम.मि. के अविद्य निधि में जमा राशि, महाशय, ग्रुप बीमा तथा अर्जित अक्काश भुगतान एवं पेंशन निर्धारण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि श्री राम कृष्ण प्रसाद भादव, एम.मि. दिनांक - 30.6.11 को सेवा निवृत्त हुए तथा दिनांक - 21.6.13 को उजेन्द्र प्रसाद भादव, एम.मि. का आकस्मिक निधन हो गया। उक्त शिक्षकों को सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिल सका है।

अतः अनुरोध है कि दोनों सहायक शिक्षकों का सेवानिवृत्त लाभ संबंधी राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाय।

आज्ञांक -

2.11.13

**रामयादि प्रसाद'**  
HEAD MASTER  
Project Girls High School  
Singheshwar (Madhepura)

निष्ठासभाजम  
2.11.13

प्रधानी प्रधानाध्यापक  
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय  
सिंहेश्वर (मधेपुरा)

श्री प्रसाद के साथ अर्जित अक्काश-  
आवक प्रपत्र।

श्री राम में जमा राशि भुगतान हेतु प्रपत्र।

श्री उजेन्द्र आकस्मिक प्रपत्र।

एम.मि. में जमा राशि त्रिकाली -

आवक प्रपत्र (ए. उजेन्द्र प्रसाद भादव) का।

**शिक्षा विभाग, बिहार**  
**बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना**  
**कार्यालय आदेश**

संख्या-परि./मा.शि.-56/2012 / सिविल अपील संख्या 6626-6675/2001 के साथ संलग्न सिविल अपील संख्या 6676-6681/2001 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्यालय शिक्षक संघ एवं अन्य मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 3.01.06 को पारित आदेश के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर सरकार के आदेशानुसार परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिधेश्वर, मधेपुरा में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा-मान्यता इस कार्यालय के आदेश संख्या-429पी., दिनांक 24.06.08 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से दिया गया था। वर्ष 1984-85 के परियोजना उच्च विद्यालयों में: विभागीय आदेश संख्या-142, दिनांक 04.02.89 द्वारा प्रधानाध्यापक का 01(एक), सहायक शिक्षक का 04(चार), लिपिक का 01(एक) एवं आदेशपाल का 02(दो) पद स्वीकृत हैं। पुनः विभागीय आदेश संख्या-56, दिनांक 25.01.2000 द्वारा सहायक शिक्षक का 04(चार) पद स्वीकृत किया गया है। स्वच्छतः प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त सहायक शिक्षक के 08(आठ) पद के विरुद्ध दिनांक 01.01.89 से 4(चार) पद एवं दिनांक 25.01.2000 से 4(चार) पद के विरुद्ध वरीयता एवं सेवा-मान्यता की तिथि तक लगातार सेवा में कार्यरत रहने के आधार पर सेवा-मान्यता का दावा अनुमान्य है।

आदेश की कंडिका (2) के अनुसार अंकित है कि दिनांक 01.01.89 एवं 25.01.2000 अथवा प्रशिक्षण योग्यता प्राप्ति की तिथि से सेवा-मान्यता एवं वेतन भुगतान की स्वीकृति के पूर्व उक्त अवधि में कार्यरत रहने के संबंध में निष्पक्ष जाँच के बाद लगातार कार्यरत रहने संबंधी दावा सही पाये जाने पर पूर्व की तिथि से सेवा-मान्यता एवं बकाये राशि का भुगतान 5(पाँच) समान वार्षिक किस्तों में किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

मान्यता प्राप्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 01.01.89 से लगातार कार्यरत रहने के संबंध में मामले की जाँच जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से करायी गयी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 66, दिनांक 31.03.12 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 132, दिनांक 18.09.12 के द्वारा सेवा-मान्यता प्राप्त शिक्षकों की वरीयता प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त सरकार के आदेश से निम्नांकित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सेवा-मान्यता देते हुए कार्यावधि के बकाये वेतनादि का भुगतान 5(पाँच) समान वार्षिक किस्तों में नियमानुसार करने का आदेश दिया जाता है -

क्रम सं.	शिक्षकों का नाम	पदनाम	सेवा-मान्यता की तिथि
1.	श्री राम कृष्ण प्रसाद यादव	सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त)	01.01.89
2.	श्री किशोर कुमार सिंह	सहायक शिक्षक	01.01.89
3.	श्री शिवा नन्द यादव	सहायक शिक्षक	01.01.89
4.	श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव	सहायक शिक्षक	01.01.89
5.	श्री दिलीप कुमार झा	सहायक शिक्षक	25.01.2000(अप्रशिक्षित)
6.	श्रीमती गौरी कुमारी	सहायक शिक्षिका	25.01.2000(अप्रशिक्षित)
7.	श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी	सहायक शिक्षिका	25.01.2000(अप्रशिक्षित)
8.	श्री उमेश प्रसाद	लिपिक	01.01.89
9.	श्री खोखन यादव	आदेशपाल	01.01.89
10.	श्रीमती लीला देवी	आदेशपाल	01.01.89



१२

शिक्षक/शिक्षकत्तर कर्मियों की आपसी यरीयता तथा उनकी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणक योग्यता संबंधी विवरण :-  
विद्यालय का नाम :- प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा।

क्र० सं०	शिक्षक/शिक्षकत्तर कर्मियों का नाम	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	प्राप्ति तिथि	प्रशिक्षणक योग्यता	प्राप्ति तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री रामकृष्ण प्र० यादव सं० शि०	5.10.1987	6.6.1951	मैट्रिक- स्नातक- यथाईलीफाई- स्नातकोत्तर-	1988 1984 1991 1992	बी० टी०	21.11.1980	दिनांक 30.06.2011 को 60 वर्ष की आयु पूरा कर सेवानिवृत्त हो गये है।
2	श्रीविनोद कुमार सिंह सं० शि०	05.10.1987	04.05.1959	मैट्रिक- स्नातक- स्नातकोत्तर-	1975 1980 1983	बी० एड०	27.01.1985	
3	श्री शिवानंद यादव सं० शि०	05.10.1987	27.01.1961	मैट्रिक स्नातक स्नातकोत्तर	1977 1984 1988	बी० एड०	1990	
4	श्री उजेन्द्र प्रसाद यादव सं० शि०	05.10.1987	07.09.1962	मैट्रिक स्नातक स्नातकोत्तर	1977 1982 1991	बी० एड०	1990	
5	श्री दिलीप कुमार झा सं० शि०	05.10.1987	10.01.1962	मैट्रिक शास्त्री साहित्याचार्य	1978 1981 1983	अप्रशिक्षित	-	
6	श्री मति गौरी कुमारी सं० शि०	05.10.1987	10.01.1959	मैट्रिक स्नातक स्नातकोत्तर	1975 1987 1993	अप्रशिक्षित	-	
7	श्रीमति अन्नुपूर्णा कुमारी सं० शि०	05.10.1987	08.01.1962	मैट्रिक स्नातक	1978 1987	अप्रशिक्षित	-	

21

8	श्री उमेश प्रसाद साह लिपिक	05.10.1987	06.01.1967	मैट्रिक स्नातक	1982 1986	-	-	
9	श्री खोखन यादव आदेशपाल	05.10.1987	20.11.1966	मिडल	1979	-	-	
10	श्रीमति तीला देवी आदेशपाल	05.10.1987	05.01.1968	मिडल	1987	-	-	

प्रधानाध्यापक  
श्रीमती प्रदीपिका शर्मा  
श्रीमती सावित्री लाल विद्यालय  
प्रधानाध्यापक (कनिष्ठ)

प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय सिन्धेवर ।

कार्यवाही (जिना कार्यालय परिसर, अजमेर)  
स्वयंसेवा समिति

पत्रांक 202

प्राप्तक:- जिना कार्यालय परिसर,  
(स्वयंसेवा) अजमेर।

विषय:-  
निदेशक (माह जिना) गिरा परमा,  
बुधवार परमा।

दिनांक:- अजमेर दिनांक 16/3/13  
आज्ञांक पत्र 1 माह जि-56/2012, 37 के माह  
स्वयंसेवा के आदेश के।

संदर्भ:-  
आज्ञांक प्रमाणक गलती परमा आज्ञांक पत्र 1 माह जि-56  
2012, 37 के दिनांक 22-01-2013 के द्वारा प्रेषित कर्मा उच्च शिक्षण  
विभाग के अंतर्गत। शिक्षक के अंतर्गत का वर्ग के अंतर्गत -  
5 माह आकाश विभाग के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।

आज्ञांक अंतर्गत है कि आज परमा का स्वयंसेवा  
पत्र 1 द्वारा अंतर्गत के अंतर्गत का कर दिया जागा।

अज्ञांकक स्व.

विभागाध्यक्ष

जिना कार्यालय परिसर  
(स्वयंसेवा) अजमेर  
16-3-13

Amesun - 5

(26)

पत्रांक-परि.-भा.शि.-90/08/43  
बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना।

प्रेषक,

निदेशक(मा.शि.),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला शिक्षा प्रदाधिकारी,  
मधेपुरा।

पटना, दिनांक 07/02/2014

विषय- वर्ष 1984-85 चरण के परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिंधेश्वर, मधेपुरा के सेवा-मान्यता प्राप्त कर्मियों की पूर्व की तिथि यथा 01.01.89/25.01.2000 अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से सेवा-मान्यता/वेतनादि भुगतान के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश को सम्पुष्ट करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1346, दिनांक 24.12.13 के संबंध न कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिंधेश्वर, मधेपुरा के सेवा-मान्यता प्राप्त कर्मियों की पूर्व की तिथि यथा 01.01.89/25.01.2000 अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से सेवा-मान्यता/वेतनादि भुगतान के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 37पी., दिनांक 22.01.13 को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्त कार्यालय आदेश संख्या-37पी., दिनांक 22.01.13 को सम्पुष्ट किया जाता है। साथ ही सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक संख्या-37पी., दिनांक 22.01.13 की अभिप्रमाणित छाया-प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

अनुलग्नक-यथोपरि

विश्वासभाजन,

07/02/2014  
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)  
बिहार, पटना।

# प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर (मधेपुरा)

पत्रांक : 36

दिनांक : 12.4.14

प्रेषक :

प्रधानाध्यापक

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(स्थापना) मधेपुरा

विषय :

निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बूढ़ा मार्ग पटना के सापांक- 37 पी०  
दिनांक- 22.1.2013 के आलोक में वकाशे राशि भुगतान करने हेतु  
राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक श्री राम कृष्ण प्रसाद शर्मा की सेवा की मान्यता निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार बूढ़ा मार्ग पटना के सापांक- 37 पी० दिनांक- 22.1.2013 के द्वारा दिनांक- 01.01.1989 से देते हुए वेतनमान में वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया। श्री शर्मा दिनांक- 30.6.2011 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं किन्तु अभी तक सेवान्त लाभ एवं वकाशे राशि का भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही विद्यालय में कार्यरत अन्य सहायक शिक्षक उजेंद्र प्रसाद शर्मा की सेवा की मान्यता भी उपरोक्त सापांक एवं दिनांक के तहत दी गई है। किन्तु उजेंद्र प्रसाद शर्मा का आकस्मिक निदान दिनांक- 21.6.2013 को हो गया है। लेकिन उनका भी वकाशे राशि एवं सेवान्त लाभ अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि आवंटित करने की अनुमति दी जाए ताकि उक्त दोनों कर्मियों का वकाशे राशि का भुगतान किया जा सके।

विपिन कुमार

*(Signature)*

12.4.14

अनुसंधानक

(1) वकाशे राशि का भुगतान कर प्रेषित

*(Faint text)*


विद्यालय का नाम : प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर (मधेपुरा)  
( बकाया राशि का विवरण )

क्रम सं.	कार्यरत कर्मियों का नाम	सेवा मान्यता की तिथि	अवधि	मूल वेतन	50 प्रतिशत महंगी भत्ता	महंगी भत्ता	आवास भत्ता	चिकित्सा भत्ता	शिक्षण भत्ता	अंतरिम सहायता	कुल
01	श्री रामकृष्ण प्रसाद यादव सेवा निवृत्त सं. शि०	01-01-1989	01-01-1989 से 23-06-2008 तक का बकाया राशि	1375366.00	108906.00	556621.00	70047.00	13075.00	9700.00	8934.00	2143
-	-	-	24-06-2008 से 30-06-2011 तक	327841.00	64240.00	121748.00	11293.00	-	-	-	5290
02	स्व० जयेंद्र प्रसाद यादव, सं० शि०	01-01-1989	01-01-1989 से 23-06-2008 तक का बकाया राशि	1375366.00	108906.00	556621.00	70047.00	13075.00	9700.00	8934.00	21434
-	-	-	24-06-2008 से 20-06-2013 तक का अंतर वेतन	518975.00	64240.00	245159.00	39094.00	-	-	-	30114
कुल योग -				3597548.00	346292.00	1480149.00	190554.00	26150.00	19400.00	17868.00	56839

मो-रूपान लोचन देसायी हजार नौ सौ एकसठ रुपये म

12.4.14  
रजनीश कुमार सिंह  
अधीनस्थ शिक्षक  
विद्यालय, सिंहेश्वर (मधेपुरा)  
मधेपुरा

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा सेवा-मान्यता आदेश की कंडिका-3 के आलोक में इनका शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की जाँच करने संबंधी शर्त का अनुपालन करते हुए ही बकाये राशि का भुगतान करेंगे।
3. जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 01.01.89 से लगातार सेवा अवधि के बीच में अवकाश की अवधि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा नियमानुसार देय अवकाश की स्वीकृति के बाद ही वेतन भुगतान की कारवाई करेंगे तथा वेतन निर्धारण का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से कराने के बाद ही बकाये राशि के भुगतान की कारवाई की जायेगी।
4. यदि भविष्य में किसी भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लगातार कार्यरत नहीं रहने संबंधी यदि कोई परिवाद प्राप्त होता है तो उसे जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर उनसे भुगतान की गयी राशि की वसूली की जायेगी।


  
15/1

(कमल कुमार सिन्हा)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

15.01.13 बिहार, पटना।

ज्ञापांक- परि./मा.शि.-56/2012-37 पटना, दिनांक ..... 22/1/2013  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिधेश्वर, मधेपुरा के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
15/1

(कमल कुमार सिन्हा)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

15.01.13 बिहार, पटना।

19

5. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/शिक्षिका को स्नातक प्रशिक्षित का वेतनमा एवं अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/शिक्षिका को स्नातक अप्रशिक्षित का वेतनमान देय होगा।
6. अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिका को तीन वर्षों के अंदर अपने खर्च पर प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा दी गयी सेवा मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
7. ऐसे शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो इस आदेश से विक्षुभित होंगे एवं स्वीकृत नीति के अन्तर्गत आने का दावा करेंगे अथवा स्वीकृत नीति के अन्तर्गत किसी शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के सम्मिलित किये जाने के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत का निस्तार निदेशक माध्यमिक शिक्षा सरकार के आदेश से करेंगे।
8. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि इस आदेश का पालन स्वयं इस कार्यालय से कराने के बाद ही बेतनादि भुगतान की कर्वाइ करेगें।

21/6/08

कमलेश्वर प्रसाद सिंह  
(निदेशक माध्यमिक शिक्षा)

जापाक 4.29 पं/पटना, दिनांक 21/6/2008

प्रतिलिपि - महालेखाकार बिहार पटना, संबंधित क्षेत्रिय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित शिक्षा पदाधिकारी / संबंधित कोषगार पदाधिकारी / संबंधित उप कोष पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को सूचन एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कमलेश्वर प्रसाद सिंह

21/6/08  
कमलेश्वर प्रसाद सिंह  
(निदेशक माध्यमिक शिक्षा)

21/6/08  
बिहार शिक्षा पदाधिकारी

कमलेश्वर प्रसाद सिंह